Helpline 1064 94135-02834

# कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- ए.सी.बी. इंटेलिजेंस, अजमेर की ट्रैप कार्यवाही, एवीवीएनएल के टेक्नीशियन को 10 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार।

जयपुर, दिनांक 03 जुलाई, 2026। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की इंटेलिजेंस इकाई, अजमेर द्वारा ट्रैप कार्यवाही करते हुए **बबलेश कुमार शर्मा, टेक्नीशियन–प्रथम, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (एवीवीएनएल), किशनगढ़** को पॉली हाउस हेतु विद्युत कनेक्शन जारी करने की एवज में 10,000/– रुपये रिश्वत राशि प्राप्त करने पर गिरफ्तार किया गया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक पुलिस श्री गोविन्द गुप्ता** ने बताया कि ए.सी.बी. इंटेलिजेंस, अजमेर को एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि परिवादी द्वारा अपने पिता एवं बड़े पिताजी के नाम ग्राम ढसूक स्थित कृषि भूमि (खसरा संख्या 634 एवं 635) पर पॉली हाउस के लिए विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने हेतु दिनांक 29.05.2026 को आवेदन किया गया था। परिवादी जब दिनांक 23.06.2026 को एवीवीएनएल, किशनगढ़ स्थित अधिशासी अभियंता कार्यालय पहुंचा, तब वहां गिरीराज मीणा द्वारा विद्युत कनेक्शन जारी करने की एवज में 15,000/– रुपये रिश्वत राशि की मांग की गई तथा कहा गया कि इस संबंध में टेक्नीशियन बबलेश कुमार शर्मा का फोन आएगा।

इसके पश्चात दिनांक 25.06.2026 को आरोपी बबलेश कुमार शर्मा द्वारा परिवादी को व्हाट्सएप कॉल कर 15,000/– रुपये फोनपे के माध्यम से भेजने के लिए कहा गया तथा रिश्वत राशि प्राप्त होने पर फाइल तत्काल स्वीकृत कराने का आश्वासन दिया गया।

ए.सी.बी. के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री नारायण टोगस** के सुपरवीजन में **पुलिस निरीक्षक श्रीमती कंचन भाटी** द्वारा शिकायत का गोपनीय सत्यापन कराया गया। दिनांक 01.07.2026 को मांग सत्यापन के दौरान आरोपी बबलेश कुमार शर्मा द्वारा पॉली हाउस के लिए विद्युत कनेक्शन जारी करने की एवज में 10,000/– रुपये रिश्वत राशि की मांग किए जाने की पुष्टि हुई। मांग की पुष्टि होने के उपरांत आज ट्रैप कार्यवाही के दौरान दिनांक 02.07.2026 को आरोपी द्वारा परिवादी से पूर्व में हुई व्हाट्सएप वार्ता के अनुसार फोनपे के माध्यम से 10,000/– रुपये रिश्वत राशि प्राप्त की गई। तत्पश्चात ए.सी.बी. इंटेलिजेंस, अजमेर की टीम ने आरोपी को रिश्वत राशि प्राप्त करते हुए गिरफ्तार कर लिया।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव एवं महानिरीक्षक पुलिस श्रीमती एस. परिमला** के निर्देशन में आरोपी एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ तथा अग्रिम कार्यवाही जारी है। ए.सी.बी. द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की **टोल फ्री हेल्पलाइन नम्बर 1064 एवं व्हाट्सएप हेल्पलाइन नम्बर 9413502834** पर 24X7सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी सहायता करेगी।